न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए./2003/2837/हनुमानगढ़

राजस्थान सरकार

.....अपीलान्ट्

बनाम

1– चेतराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक
2– चौथूराम पुत्र बस्तीराम जाति नायक
समस्त निवासी झाम्बर तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3– प्रीतमसिंह पुत्र दलीपसिंह जाति जटसिख निवासी चक 8 एसएसडब्ल्यू. तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4– जग्गासिंह पुत्र कालासिंह जाति मजबी
5– शिलो पत्नि कालासिंह जाति मजबी
समस्त निवासी शेरेवाला तहसील मुक्तसर (पंजाब)
6– उदमीराम पुत्र रामसुख (फौत) जरिये विधिक वारिसान :–
6/1– देवीलाल पुत्र उदमीराम
6/2– प्रभुलाल पुत्र उदमीराम
6/3– हंसराज पुत्र उदमीराम
6/4– शिशपाल पुत्र उदमीराम
6/5– संतोष पुत्री उदमीराम
6/6– कलावती देवी पुत्री उदमीराम
6/7– गुड्डी देवी पुत्री उदमीराम
6/8– धर्मोदेवी पुत्री उदमीराम
6/9– विमलादेवी पुत्री उदमीराम
6/10– इमरतीदेवी पत्नि पन्नाराम
समस्त जाति मेघवाल निवासी ललानाबास तहसील नोहर जि. हनुमानगढ़।

...रेस्पोन्डेन्ट्स

खण्ड–पीठ
श्री सी.आर. मीणा, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री शंकरलाल चौधरी, राजकीय अभिभाषक अपीलान्ट
श्री प्रशान्त सोनी, अभिभाषक रेस्पो.
श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक अप्रार्थी सं.–6/1 से 6–10

दिनांक : 23 दिसम्बर, 2021

निर्णय

1– यह अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31–3–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध रेस्पो. / प्रतिवादी बस्तीराम, प्रीतमसिंह, कालासिंह व निहालसिंह के पेश किया कि वादग्रस्त भूमि चक 7 एसएसडब्ल्यू. पत्थर नम्बर–163/293 किला नम्बर–1 ता 4/4.00, 7 ता 14/8.00, 17 ता 24/8.00, पत्थर नम्बर–163/294 किला नम्बर–1 ता 4/4.00, 7/1.00 कुल 25 बीघा को अप्रार्थी संख्या–2 जो कि सवर्ण जाति का व्यक्ति है, को बस्तीराम जो कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, ने हस्तान्तरित कर दी, जो धारा–42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। इस कारण उक्त भूमि को आराजी पर से दोनों क्रेता एवं विक्रेता को बेदखल कर बहक सरकार रिज्यूम किया जावे। दौराने वाद आराजी पर रिसिवर नियुक्ति का आदेश दिया। जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत की गयी जो दिनांक 5–12–1986 को स्वीकार कर ली व कालासिंह व निहालसिंह को पक्षकार बनाने का आदेश दिया। जिसमें वाद में पक्षकार बनाया। उक्त वाद में कालासिंह, निहालसिंह ने अपना जवाबदावा पेश किया व कथन किया कि बस्तीराम से 8, 8 बीघा भूमि खरीद की है। उक्त जवाब पेश होने पर उपखण्ड अधिकारी ने प्रार्थना पत्र को वाद में परिवर्तित कर दिया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की बहस सुनकर यह मानते हुये कि वादी/अपीलान्ट दावा सिद्ध करने में पूर्णतया असफल रहे हैं। इस कारण उन्होने वाद को दिनांक 14–5–1991 को खारिज कर दिया। जिसके विरूद्ध राज्य सरकार के द्वारा अपील विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष पेश की गई, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2003 द्वारा अपील को आंशिक स्वीकार करते हुये वादग्रस्त भूमि में से 16 बीघा भूमि का हस्तान्तरण 42(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होना मानते हुये राजहित में रिज्यूम का आदेश दिया व शेष 9 बीघा के बाबत अपील खारिज कर दी। उक्त निर्णय दिनांक 31–3–2003 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। इस अपील में विवादित भूमि के क्रेता उदमीराम के वारिसान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–1 नियम–10 सीपीसी प्रस्तुत कर पक्षकार बनने का निवेदन

किया जिसे स्वीकार कर उन्हें बतौर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6/1 से 6/10 पक्षकार बनाया गया।

3– बहस उभय सुनी गयी।

4– अपीलान्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय न्याय, नियम व रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि 9 बीघा भूमि पर प्रीतमसिंह पुत्र दिलीपसिंह, जटसिख का कब्जा काश्त चला आ रहा है। यह तथ्य राजस्व अभिलेख में ग्रामवासियों ने भी बताया था तथा प्रीतमसिंह के द्वारा उक्त भूमि बेनामी रूप से अपने नौकर कालासिंह के नाम जरिये इकरारनामा क्रय की थी। जबकि वे स्वयं खरीददार था। जबकि अनुसूचित जाति की जमींन सवर्ण का होने से उक्त 9 बीघा भूमि रिज्यूम योग्य थी। किन्तु विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने 9 बीघा भूमि पर अपील को खारिज करने में भारी भूल की है। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि बस्तीराम जो कि अनुसूचित जाति का सदस्य है, ने अपनी 9 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा हस्तानान्तरित की थी और आराजी का कब्जा सवर्ण जाति के व्यक्ति को करा दिया था इस कारण विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ ने यह मानते हुये कि रिपोर्ट में आराजी अनुसूचित जाति के नाम दर्ज है, आदेश पारित किया है जो गलत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 31–3–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–5–1991 को अपास्त किया जाये एवं शेष 9 बीघा भूमि को भी राजहित में रिज्यूम किया जावे।

5– प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने वाद सिद्ध नहीं माना इसलिये वाद खारिज कर दिया जो विधिसम्मत निर्णय था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया है और 16 बीघा भूमि को कब्जे राज लेने के आदेश पारित कर दिये हैं। उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण होने के कारण एक अन्य अपील संख्या–2007/4119 प्रस्तुत कर दी है। विवादित भूमि का हस्तान्तरण किसी सवर्ण जाति को नहीं हुआ है इसलिये धारा–175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान इस प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं। राज्य सरकार ने गलत तथ्यों के आधार पर यह अपील प्रस्तुत की है जो कि निराधार और सारहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

6– हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया।

7– पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि पत्रावली में प्रीतम सिंह के बयान दर्ज है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि **''यह भूमि कालासिंह ने तीन हजार रूपये प्रति बीघा की दर से 75,000/–रू में क्रय की है। इस भूमि को खरीद करने के लिये रूपये हमने दिये थे। रजिस्ट्री कराने के बाद से यह भूमि हमारे पास ही रही है। आज काश्त हमारी है।''** प्रीतम सिंह ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि कालासिंह उनके यहां 14–15 सालों से रह रहा है। इस प्रकार प्रीतम सिंह ने धारा–42(बी) से बचने के लिये 16 बीघा की रजिस्ट्री कालासिंह मजहबी है जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, के नाम करा दी, शेष 9 बीघा भूमि का इकरारनामा भी कालासिंह के नाम कर दिया है। इस प्रकार से उक्त हस्तान्तरण बेनामी हस्तान्तरण की श्रेणी में आते हैं। चूंकि सम्पूर्ण 25 बीघा भूमि पर कब्जा प्रीतमसिंह का ही है इसलिये सम्पूर्ण भूमि 25 बीघा को कब्जे राज लिया जाना चाहिये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 31–3–2003 त्रुटिपूर्ण होने के कारण इसमें संशोधन किये जाने योग्य है।

8– अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ का निर्णय दिनांक 31–3–2003 अपास्त किया जाता है तथा विवादित आराजी कुल 25 बीघा भूमि को कब्जे राज लेने का आदेश दिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(सी.आर. मीणा)
सदस्य